न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
78/2013	15/05/2012	08/05/2025

घांसी खां पुत्र श्री अल्लानूर, जाति–मुसलमान, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) मृतक जर्ये कायममुकाम–

इनायत हुसैन पुत्र घांसी खां, जाति–मुसलमान, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

(वादी)

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–षोभागपुरा, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
2. मुरारीलाल पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–शोभागपुरा, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
3. रामलाल उर्फ रामनारायण पुत्र श्री माधोलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–षोभागपुरा, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) जर्ये मृतक कायमुकान–

   3/1.शिवप्रकाश पुत्र रामनारायण, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

   3/2. गीता पुत्री रामनारायण, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) हाल निवास–कोटा राज.

   3/3. रूकमणी पुत्री रामनारायण, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) हाल निवास बांरा राज.
4. जगदीश पुत्र बंशीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
5. ओमशंकर पुत्र बंशीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
6. द्रोपती बाई बेवा बंशीलाल, श्जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) हाल निवास इच्छापुरा, तहसील–श्योपुर मध्य प्रदेश
7. मदनलाल पुत्र माधो, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) मृतक रेश पुत्र मदनलाल, मृतक जर्ये कायमुकाम–

   7/1देवेन्द्र पुत्र रमेश, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, हाल निवास–मोती कुए के इटावा तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

   7/2. हरिओम पुत्र रमेश, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, हाल निवास–मोती कुए के इटावा तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.

   7/3.विकास पुत्र रमेश, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, हाल निवास–मोती कुए के पास इटावा तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

8. बद्रीलाल पुत्र माधो, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) मृतक जर्ये कायमुकाम–

8/1. रामेश्वर पुत्र बद्रीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, हाल निवास–मोती कुए के पास इटावा तह. पीपल्दा, जिला श्कोटा (राज.)

8/2. प्रेमशंकर पुत्र बद्रीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, हाल निवास–मोती कुए के पास इटावा तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.

9. रामस्वरूप पुत्र धूलीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) मृतक जर्ये कायमुकाम–

9/1. भंवरलाल पुत्र रामस्वरूप, जाति–ब्राहम्ण, निवासी इन्द्रगढ़, तह. इन्द्रगढ़, जिला बून्दी (राज.)

9/2 प्रेमशंकर पुत्र रामस्वरूप, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, हाल निवास–मोती कुए के इटावा, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

10. रामचरण पुत्र जगन्नाथ, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–बडौद, तह. दीगोद, जिला कोटा (राज.

11. बजरंगलाल पुत्र फूंदीलाल, जाति–माली, निवासी–देवपुरा, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

12. चन्दा पुत्र हीरा, जाति–धाकड़, निवासी–जोरावरपुरा, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

13. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री भागवन्त सिंह आसावत एड0

प्रतिवादी की ओर उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा

वाद अर्न्तगत धारा, 88, 89,188 आर.टी. एक्ट

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सोभागपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) में सेटलमेन्ट से पूर्व ख. नं. 18 रकबा 15 बीधा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। जिसके बाद सेटलमेन्ट हाल ख.नं. 19 रकबा 2. 16 है. कायम किये गये। उपरोक्त आराजी यादी के खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी है जो इसी अनुरुप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। यह कि इसी प्रकार ग्राम सोभागपुरा तह. पीपल्दा में प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के खाते में हाल ख.नं. 14 रकबा 1.53 है. भूमि स्थित है। जिसके पूर्व सेटलमेन्ट ख.नं. 17 व रकबा 8 बीधा 2 बिस्वा था। तथा प्रतिवादी क्रम 11 के खाते में हाल ख.नं. 18 रकबा 0.94 है. भूमि स्थित है। जिसके पूर्व सेटलमेन्ट ख.नं. 19 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा था तथा प्रतिवादी क्रम 12 के खाते में हाल ख.नं. 17 रकबा 2.10 है. भूमि स्थित है जिसके पूर्व सेटलमेन्ट ख.नं. 16 व रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा था। उपरोक्त मद नं. 1 व 2 में वर्णित भूमि वाद पत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहां गया है भूमि का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है–

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

पूर्व सेटलमेन्ट			बाद सेटलमेन्ट			
खातेदार	ख0नं0	रकबा	ख0नं0	रकबा	कमी	बढा
वादी घासी खों	18	15 बीघा 2 बिस्वा अर्थात् 2.42है0	19	2.16है0	0.26है0	—
प्रतिवादीकम 1 ता 10	17	8 बीघा 2 बिस्वा अर्थात् 1.30है0	14	1.53है0	—	0.23है0
प्रतिवादीकम 11	19	5 बीघा 15 बिस्वा अर्थात् 0.92है0	18	0.94है0	—	0.02है0
प्रतिवादीक्रम 12	16	12 बीघा 13 बिस्वा अर्थात् 2.02है0	17	2.10है0	—	0.08है0

यह कि बाद सेटलमेन्ट वादी के खाते की आराजी गत ख.नं. 18 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा (2.42 है) के स्थान पर हाल ख.नं. 19 रकबा 2.16 है. कामय किये गये है तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी का हाल रकबा गत रकबे की तुलना में 0. 26 है. कम दर्ज किया है। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के खाते में सेटलमेन्ट से पूर्व गत ख.नं. 17 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा (अर्थात् 1.30 है. होते है) तथा जिसके बाद सेटलमेन्ट हाल ख.नं. 14 रकबा 1.53 है. कायम करते हुए प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 का हाल रकबा गत रकबे की तुलना में 0.23 है. रकबा सेटलमेन्ट द्वारा बढ़ा दिया गया है। तथा प्रतिवादी क्रम 11 के खाते में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गत ख.नं. 19 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा (अर्थात् 0.92 है. होते है।) के स्थान पर हाल ख.नं. 18 रकबा 0.94 है. दर्ज करते हुए 0.02 है. बढ़ा दिया है। इसी प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रतिवादी क्रम 12 के खाते की आराजी गत ख.नं. 16 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा के अर्थात् 2.02 है. होते है के स्थान पर हाल ख.नं. 17 रकबा 2.10 है. कायम करते हुए हाल रकबा गत रकबे की तुलना में 0.08 है, बढ़ा दिया है वादी पूर्व सेटलमेन्ट अनुसार ही अपने गत रकबे अनुसार 15 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। यह कि सेटलमेन्ट विभाग को वादी का रकबा गत रकबे की तुलना में उपरोक्तानुसार कम करते हुये 0.26 है. कम दर्ज करने तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 के खाते की आराजी का रकबा बढ़ाते हुए दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। सेटलमेन्ट विभाग का उक्त कृत्य अपने अधिकारों से परे जाकर बिना किसी सक्षम आदेश के अधिकार के किया गया है। इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अपने कमी किये गये रकबे की पूर्ति प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 के खाते करवा कर अर्थात प्रतिवादी 1 ता 10 के खाते से 0.16 हैक्टर प्रतिवादी क्रम 11 के खाते से 0.02 हैक्टर प्रतिवादी क्रम 12 के खाते से 0.08 हैक्टर कम करवाकर अपना 0.26 हैक्टर रकबा दुरुस्त करवाये तथा अपने खाते दर्ज करवायें। इस हेतु वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह हाल ख.नं. 19 रकबा 2.16 है. के कमी रकबे 0.26 की पूर्ति करवाकर हाल ख.नं. 19 का रकबा

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जि0 कोटा (राज0)

2.42 है. पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये व इन्द्राज दुरुस्ती करवाये। यह कि विवादित आराजी का रकबा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कम दर्ज किया है तथा विवादित भूमि पर वादी पूर्व सेटलमेन्ट अनुसार गत रकबे पर काबिज काश्त है किन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 का रकबा बढ़ाकर दर्ज कर दिया है जिसकी आड़ में प्रतिवादी क्रम 1 ना 12 आये दिन वादी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते रहते है। प्रतिवादी क्रम 10 ता 12 ने इसी आशय से दिनांक 23–01–2012 को विवादित भूमि पर से वादी को बेदखल करने की धमकी दी है इस कारण प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक हो गया है। यह कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी का रकबा कम दर्ज किया है। तथा जिस को प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 का रकबा बढ़ा कर दर्ज कर दिया है। जिसकी आड़ में प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 वादी को बेदखल करने पर आमादा है। इस आशय से प्रतिवादी क्रम 10 ता 12 ने दिनांक 23–01–2012 को वादी को विवादित भूमि पर बेदखल करने की धमकी दी है इस कारण माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। यह कि प्रतिवादी क्रम 13 को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी क्रम 13 को पक्षकार बनाने व उसके विरुद्ध वाद लाने हेतु 80 सी. पी.सी के प्रावधानों अन्तर्गत 2 माह मियादी नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु वाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए वाद 80 (2) सी.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र बावत अनुमति संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादीक्रम 3,7,8.9 की मृत्यु हो चुकी है मुताबिक टाइटल वाद उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है, सहखातेहार रामकन्या की मृत्यु लाओलाद के हो चुकी है। अन्य सह खातेदार जगन्नाथ की भी मृत्यु हो चुकी है प्रतिवादी कम 10 उनके विधिक वारिस है। जो वाद में पक्षकार है। मृतक रामकन्या के विधिक वारिस प्रतिवादी कम 7,8,9,10 वाद में पक्षकार है।

8. यह कि वाद कारण सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी का रकबा कम दर्ज करने तथा जिसकी आड में प्रतिवादी क्रम 10 ता 12 ने वादी को दिनांक 23–01–2012 को बेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।

(अ) कि विवादित आराजी ग्राम शोभागपुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) मे वादी के खाते की आराजी में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कमी किये गये रकबे 0. 26 है. की पूर्ति प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के खाते की भूमि ख. नं. 14 रकबा 1. 53 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर प्रतिवादी क्रम 11 के खाते की भूमि ख. नं. 18 रकबा 0.94 हैक्टर मे से 0.02 हैक्टर प्रतिवादी क्रम 12 के खाते की भूमि ख. नं. 17 रकबा 2.10 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर से की जाकर वादी का रकबा हाल ख.नं. 19 रकबा 2.16 है. के स्थान पर रकबा 2.42 है. दर्ज किया जावे तथा वादी को हाल ख.नं. 19 रकबा 2.42 है. का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ब) कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह न तो स्वयं न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित आराजी ख.नं.

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

19 रकबा 15 बीघा 1 2 बिस्वा (2.42) है पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करे तथा वादी को बेदखल करने की चेष्ठा न करे विवादित आराजी को खुर्द बुर्द बेचान आदि नही करे।

वादी की ओर से वाद श्री भागवन्त सिंह आसावत एड0 द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित है। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जवाब सरकार पेश है शामिल पत्रावली है। वादी वकील की ओर से साक्ष्यवादी शपथ पत्र पेश किए गए। शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया। मनन उपरान्त तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि हाल खसरा नं0 14 रकबा 1.53है0, मौका अनुसार 1.30है0 व सेटलमेंट पूर्व खसरा नं0 19 रकबा 1.30है0 है तथा हाल खसरा नं0 17 रकबा 2.10है0, मौका अनुसार 2.07है0 व सेटलमेंट पूर्व खसरा नं0 16 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा (2.07है0) दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार वर्तमान खसरा नं0 14 व 17 में रिकॉर्ड के अनुसार क्रमशः 0.23है0 व 0.03है0 रकबा बढा हुआ है जबकि वर्तमान खसरा नं0 19 का रकबा सेटलेमेंट की त्रूटि से 0.26है0 कम हुआ है। अतः खसरा नं0 19 के रकबे की कमी–पूर्ति खसरा नं0 14 व 17 से किया जाना उचित है। वर्तमान में खसरा सं0 19 से विभक्त होकर नया ख0नं0 652/649 रकबा 1.20है0 बना है जो कि कमी–पूर्ति किए जाने वाले खसरा नम्बरान 14 व 17 से लगवा है। इस खसरें में वादी का हिस्सा 1/15 रकबा 0.08है0, कमलेश बाई का हिस्सा 2/15 रकबा 0.16है0, चन्द्रप्रकाश नागर का हिस्सा 4/5 रकबा 0.96है0 दर्ज है। अतः ख0नं0 14 में से 0.23है0 व ख0नं0 17 में से 0.03है0 कम करके वादी के हिस्से में 0.26है0 की कमीपूर्ति करने के पश्चात् ख0नं0 652/649 में वादी का कुल रकबा 0.34है0 बनता है। इस प्रकार ख0नं0 652/649 का कुल रकबा 1.46है0 किया जाता है व खसरा नं0 14 का रकबा 1.53है0 की जगह 1.30है0 और खसरा नं0 17 का रकबा 2.10है0 की जगह 2.07है0 किया जाता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि खसरा नं0 652/649 में वादी का हिस्सा 34/146 रकबा 0.34है0, कमलेश बाई का हिस्सा 16/146 रकबा 0.16है0, चन्द्रप्रकाश नागर का हिस्सा 96/146 रकबा 0.96है0 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। तदनुसार डिकी जारी की जावे।

Ramniwas
सहायक कलक्टर
पीपल्दा (राज0)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
78 / 2013	15 / 05 / 2012	08 / 05 / 2025

घांसी खां पुत्र श्री अल्लानूर, जाति–मुसलमान, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) मृतक जर्ये कायममुकाम–

इनायत हुसैन पुत्र घांसी खां, जाति–मुसलमान, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

(वादी)

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–षोभागपुरा, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
2. मुरारीलाल पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–षोभागपुरा, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
3. रामलाल उर्फ रामनारायण पुत्र श्री माधोलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–षोभागपुरा, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) जर्ये मृतक कायमुकान–

   3 / 1.शिवप्रकाश पुत्र रामनारायण, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

   3 / 2. गीता पुत्री रामनारायण, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) हाल निवास–कोटा राज.

   3 / 3. रूकमणी पुत्री रामनारायण, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) हाल निवास बांरा राज.
4. जगदीश पुत्र बंशीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
5. ओमशंकर पुत्र बंशीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)
6. द्रोपती बाई बेवा बंशीलाल, श्जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) हाल निवास इच्छापुरा, तहसील–श्योपुर मध्य प्रदेश
7. मदनलाल पुत्र माधो, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) मृतक रेश पुत्र मदनलाल, मृतक जर्ये कायमुकाम–

   7 / 1देवेन्द्र पुत्र रमेश, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, हाल निवास–मोती कुए के इटावा तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

   7 / 2. हरिओम पुत्र रमेश, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, हाल निवास–मोती कुए के इटावा तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.

Raminwas

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

7/3.विकास पुत्र रमेश, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, हाल निवास–मोती कुए के पास इटावा तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

8. बद्रीलाल पुत्र माधो, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) मृतक जर्ये कायमुकाम–

8/1. रामेश्वर पुत्र बद्रीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, हाल निवास–मोती कुए के पास इटावा तह. पीपल्दा, जिला श्कोटा (राज.)

8/2. प्रेमशंकर पुत्र बद्रीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, हाल निवास–मोती कुए के पास इटावा तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.

9. रामस्वरूप पुत्र धूलीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.) मृतक जर्ये कायमुकाम–

9/1. भंवरलाल पुत्र रामस्वरूप, जाति–ब्राहम्ण, निवासी इन्द्रगढ़, तह. इन्द्रगढ़, जिला बून्दी (राज.)

9/2 प्रेमशंकर पुत्र रामस्वरूप, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–करवाड़, हाल निवास–मोती कुए के इटावा, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

10. रामचरण पुत्र जगन्नाथ, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–बडौद, तह. दीगोद, जिला कोटा (राज.

11. बजरंगलाल पुत्र फूंदीलाल, जाति–माली, निवासी–देवपुरा, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

12. चन्दा पुत्र हीरा, जाति–धाकड़, निवासी–जोरावरपुरा, तह. पीपल्दा, जिला कोटा (राज.)

13. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री भागवन्त सिंह आसावत एड0

प्रतिवादी की ओर उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा

<u>वाद अर्न्तगत धारा, 88, 89,188 आर.टी. एक्ट</u>

<u>निर्णय दिनांकः–08/5/25</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री भागवन्त सिंह आसावत एडवोकेट मिनजानिब मुददई रूबरू................ मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हाल खसरा नं0 14 रकबा 1.53है0, मौका अनुसार 1.30है0 व सेटलमेंट पूर्व खसरा नं0 19 रकबा 1.30है0 है तथा हाल खसरा नं0 17 रकबा 2.10है0, मौका अनुसार 2.07है0 व सेटलमेंट पूर्व खसरा नं0 16 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा (2.07है0) दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार वर्तमान खसरा नं0 14 व 17 में रिकॉर्ड के अनुसार कमशः 0.23है0 व 0.03है0 रकबा बढा हुआ है जबकि वर्तमान खसरा नं0 19 का रकबा सेटलेमेंट की त्रूटि से 0.26है0 कम हुआ है। अतः खसरा नं0 19 के रकबे की कमी–पूर्ति खसरा नं0 14 व 17 से किया जाना उचित है। वर्तमान में खसरा सं0 19 से विभक्त होकर नया ख0नं0 652/649 रकबा 1.20है0 बना है जो कि कमी–पूर्ति किए जाने वाले खसरा नम्बरान 14 व 17 से लगवा है। इस खसरें

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जि0 कोटा (राज0)

में वादी का हिस्सा 1/15 रकबा 0.08है0, कमलेश बाई का हिस्सा 2/15 रकबा 0.16है0, चन्द्रप्रकाश नागर का हिस्सा 4/5 रकबा 0.96है0 दर्ज है। अतः ख0नं0 14 में से 0.23है0 व ख0नं0 17 में से 0.03है0 कम करके वादी के हिस्से में 0.26है0 की कमीपूर्ति करने के पश्चात् ख0नं0 652/649 में वादी का कुल रकबा 0.34है0 बनता है। इस प्रकार ख0नं0 652/649 का कुल रकबा 1.46है0 किया जाता है व खसरा नं0 14 का रकबा 1.53है0 की जगह 1.30है0 और खसरा नं0 17 का रकबा 2.10है0 की जगह 2.07है0 किया जाता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि खसरा नं0 652/649 में वादी का हिस्सा 34/146 रकबा 0.34है0, कमलेश बाई का हिस्सा 16/146 रकबा 0.16है0, चन्द्रप्रकाश नागर का हिस्सा 96/146 रकबा 0.96है0 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 08/5/25 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

Ramniwas

सहायक कलक्टर

इटावा जिला कोटा